FORM - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रामू बाई बनाम प्यारेलाल आदि 2023/35

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 03 सन् 2023

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2023	प्रार्थी रामू बाई पत्नी भगत राम उर्फ मंगला राम जाति कम्बोज निवासी 55 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 55 एफ के खाता संख्या 68/72 के मुरब्बा नम्बर 57 की 6.323 हेक्टैयर भूमि के संबध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण या अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें कोई प्रभावी आदेश प्रार्थी को सुने बिना नही दिया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।	
31/7/23	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC पेश किए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया है। पत्रावली निर्णित [illegible] से कम होकर दाखिल [illegible] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:45:19 IST
Reason: SelfAttested